झारखण्ड JHARKHAND

03AA 825207

सच्ची प्रतिलिपि
दस्तावेज सं. 1? 50/2014
पृष्ठ सं. 1 से 10 तक

अवर निबन्धन कार्यालय
गोड्डा

जिला अवर निबन्धक
गोड्डा 7/6/17

(1)

2028
5/6/14

सन्त लाल [illegible]
सचिव गांधी ग्लोबल ट्रस्ट
पिता [illegible]
[illegible]
जिला देवघर

जिला [illegible]
11 APR 2014
[illegible]

1881

Chandan Kr. Dutta
Stamp Vendor
L. No. 05/09
Godda Court

पिता श्री ... ...
निवास स्थान ... ... जाति ... ...
पेशा ... ... जो निबन्धकारी कार्यालय में ... ... द्वारा
... निबन्धक ... ... समय ... ...
... ... एक
... ... के प्राप्तकर्ता
... ... [illegible] हस्ताक्षर
... है कि ... ... निबन्धक का [illegible]
में ... ... स्थान पर)
(... ... ...
निबन्धन के लिए पेश किया।

504
508
278

378

[illegible] का हस्ताक्षर

65-66-67

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

7/6/2014

6४9 Trust IV 40

(शुल्क) प्राप्त 150/-

A(i) 150=00
N(4) 63=00
213=00

[redacted]

1/8/2001

गाँधी गोल्डेन ट्रस्ट

न्यास अभिलेख (ट्रस्ट डीड)

सेटलर्स का नाम : श्री सन्तलाल यादव,
ग्राम : दुरगुनियाँ,
पो.+थाना : चान्दन,
जिला : बाँका

[redacted] श्री त्रिभुवन प्र0 चौधरी,
ग्राम : [redacted]
पो.+थाना : चांदन,
जिला : बांका

[redacted]स्टी संख्या – न्यासियों के नाम, पता, पद एवं पेशा :

क्र.	नाम	पता	पद	पेशा
1.	त्रिभुवण प्र0 चौधरी	ग्राम : झिंगाझाल पोस्टः चांदन जिला : बांका (बिहार)	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	सन्तलाल प्र0 यादव	ग्राम : दुरगुनियाँ, पोस्टः चांदन जिला : बाँका (बिहार)	सचिव	समाजसेवा
3.	गोपाल मंडल	ग्राम : दौलतपुर पोस्ट : रोहिणी, जिला : देवघर, (झारखंड)	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा

जिला अवर निबन्धक
गोड्डा

1930/38 श्री सन्तलाल यादव इजेगुनिया

150- चान्दनी चौक

27-7-01

सन्तलाल यादव

इजेगुनिया

सन्तिलोलि योदेत
1|8|2001

सन्तलाल यादव को जिमुलाल
गोपाल मंडल
हुली मंडल

सन्तिलोलि योदेत
1|8|2001

त्रिभुवन प्र० चौधरी
1.8.2001

गोपाल मंडल
पिता - श्री हुली मंडल

4.	राजेन्द्र कुमार	ग्राम : भनरा पोस्ट : चांदन जिला : बाँका, (बिहार)	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
5.	श्रीमती सरस्वती सिंह	डाबरग्राम विद्युत कॉलोनी, पोस्ट : डाबर ग्राम जिला : देवघर (झारखंड)	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्रीमती सबिता यादव	ग्राम : हिरणा, पोस्ट : पश्चिम बेलाबगान, जिला : देवघर (झारखंड)	सदस्य	समाजसेवा
7.	सतीश कुमार चौधरी	ग्राम : डिगाझाल पोस्ट : चाँदन, जिला : बाँका (बिहार)	सदस्य	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक
8.	दुखन कापरी	ग्राम : गोपीडीह पोस्ट : रोहिणी, जिला : देवघर (झारखंड)	सदस्य	कृषि
9.	अनिता टुडू	ग्राम : बांक, पो. : घोरमारा, जिला : देवघर (झारखण्ड)	सदस्या	समाजसेवा
10.	सुरेश प्र0 ठाकुर	ग्राम : दुरगुनियाँ, पो. : चान्दन, जिला : बाँका (बिहार)	सदस्य	समाजसेवा
11.	बीरबल प्र0 यादव	ग्राम : अधरीगादर, पो. : माधोपुर, जिला : देवघर (झारखण्ड)	सदस्य	समाजसेवा

जिला अवर निबन्धन कार्यालय गोड्डा

जिला अवर निबन्धक
गोड्डा

भूमिका :

समाज सेवा कार्यों में लंबे समय से जुड़े उपरोक्त न्यासियों ने दिनांक 29.7.20001 को एक बैठक कर गाँधीजी के दर्शन – सत्य, अहिंसा, त्याग, न्याय, प्रेम पर आधारित "गाँधी गोल्डेन ट्रस्ट" के नाम से एक न्यास गठन का निर्णय लिया। यह न्यास सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मानवता एवं सभी प्राणी से संबंधित पर्यावरण प्रदूषण, गरीबी उन्मूलन, महिला विकास, लिंग समानता, धार्मिक सामंजस्य, आर्थिक समानता जैसे कार्यों को सम्पादित करने का प्रयास करेगी। ऊपर लिखे लेख्यधारीगण इस न्यास के प्रथम न्यासी एवं पदाधिकारी निर्वाचित किये गये एवं सभी सदस्यों ने चन्दा से इस ट्रस्ट का प्रारंभिक पूँजी के रुप में 700 (सात सौ) रुपये जमा किया।

1. नाम : इस न्यास का नाम "गाँधी गोल्डेन ट्रस्ट" रखा गया।
2. कार्यक्षेत्र : इस न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।
3. कार्यालय : ग्राम : गिधापाथर, पत्रालय : देवपुर, थाना : जसीडीह, जिला : देवघर, झारखण्ड होगा। एवं शाखा कार्यालय पोड़ैयाहाट गोड्डा झारखण्ड होगा।
4. उद्देश्य :

- गाँव को सर्वोदय के सिद्धांतों पर संगठित करते हुए सामाजिक न्याय की स्थापना करना।
- गाँव के लोगों के साथ सामुदायिक भावना की जागृति करना।
- स्वतंत्र व्यक्ति का एक मजबूत संगठन का निर्माण करना। जो समाज के पुनर्निर्माण में सम्पूर्ण भागीदारी दिलाने का प्रयास करेगी।
- मानवीय मूल्यों की स्थापना करना।
- गाँव की व्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना।
- अन्त्योदय के सिद्धांतों पर आर्थिक विकास का प्रबंध करना।
- गाँव में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग के माध्यम से, गाँव एवं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रबंध करना।
- सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना।
- बच्चे, वृद्ध एवं विधवा जो समाज से उपेक्षित हो उसे समाज में सामाजिक हक दिलाने के साथ उचित व्यवस्था करने का प्रयास कराना।
- आत्म निर्भर गाँव की स्थापना करना।

(5)

जिला अवर निबन्धक
गोड्डा

- गाँव की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक मूल्यों मे सुधार लाना।

5. उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ट्रस्ट, गाँवों के बीच निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करेगी :

- प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन एवं सशक्त कृषि विकास में सहयोग देना।
- सभी विकास कार्यों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- शिक्षा के विकास के औपबंधिक अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- गाँव के लोगों की बीच कर्ज प्रक्रिया की स्थापना करते हुए सशक्त साख कायम करने का प्रयास करना।
- रोजगारोन्मुखी एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रयास करना।
- सरकार तथा बैंक के साथ नजदीकी सम्पर्क करते हुए उनके सेवाओं को गाँव के विकास को गाँव तक पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- गाँव में ग्राम सभा एवं अन्य छोटी-छोटी समिति का निर्माण कर उसके विचार के आधार पर विकास कार्यों को गति देने की व्यवस्था करना।
- स्वच्छ पेयजल एवं उत्तम स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था करना।
- पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष एवं सामुदायिक भवन का निर्माण की व्यवस्था करना।
- जरूरत के अनुसार कृषि संबंधित संसाधनों को पूरा करने की व्यवस्था करना।
- गाँव में उपलब्ध जन्तु एवं जनावरों के नस्ल सुधार की व्यवस्था करना।
- गाँव में अनाज एवं भंडारण की व्यवस्था करना।
- गाँव के लोगों द्वारा उत्पादित कच्चे सामानों को उचित मूल्य पर बेचने हेतु बिक्री व्यवस्था करना।
- अन्त्योदय के आधार पर आर्थिक कार्यक्रम करना।
- वृक्षारोपण एवं जंगली जड़ी बुटटी के महत्व को बताते हुए इसे लगाने, तथा संरक्षण की व्यवस्था करना।

6. न्यास परिषद के अधिकार :

उपरोक्त सभी उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए न्यास को निम्नलिखित अधिकार होंगे।

जिला अवर निबन्धक
गोड्डा

- समान विचार के राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, राजकीय, गैर सरकारी स्थानीय स्तरों पर स्वैच्छिक और सरकारी ऐजेंसियों, संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों, अभिकरण, न्यासी उद्यमों से सम्पर्क स्थापित कर उक्त कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए धन प्राप्त करना।
- किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक, सरकारी संस्था, विभाग सरकारी गैर सरकारी, बैंक केन्द्रीय, या राज्य सरकारी बोर्ड, अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठान, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि से ऋण अनुदान चल अचल सम्पति प्राप्त करना।
- न्यास कोष के लिए सदस्यता शुल्क, सेवा शुल्क दान, चन्दा, ऋण सहयोग राशि प्राप्त करना।
- न्यास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु न्यास के नाम से चल अचल सम्पति प्राप्त करना।
- न्यास के किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शाखाएं खोलना, संचालन करना, कार्यकर्त्ताओं को नियुक्त करना, पदमुक्त करना एवं अन्य ऐसी गतिविधियों का उत्तरदायित्व उठाना।
- न्यास का वित्तीय वर्ष : 1 अप्रेल से 31 मार्च होगा।
- न्यासियों की संख्या : इस न्यास में कम से कम सात और अधिक से अधिक ग्यारह न्यासी होंगे, जो समयानुकूल घटाया या बढ़ाया जा सकता है। हर परिस्थिति में 1/3 महिला न्यासी होंगे।

आय के श्रोत :

1. सदस्यता एवं प्रवेश शुल्क द्वारा।
2. राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय दाता संस्थाओं या अन्य श्रोतों से दान अनुदान द्वारा।
3. न्यास के कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रदत्त सेवा के विरूद्ध प्राप्त सेवा शुल्क।
4. उत्पादित वस्तुओं की बिक्री एवं सेवा शुल्क द्वारा।
5. किसी उद्यम कार्यक्रमों के लिए सरकारी अर्द्धसरकारी संस्थाओं, बोर्डो निकायों, बैंक, निगमों एवं कोई भी दूसरे वित्तीय संस्थाओं से ऋण तथा अनुदान द्वारा।

7. सदस्यता : न्यास के कार्यों एवं उद्देश्यों से सहमत कोई भी व्यक्ति दो न्यासियों के अनुशंसा पर न्यास में सदस्यता प्राप्त करने का योग्य होगा। परन्तु 2/3 सदस्यों की सहमति से ही उसे सदस्यता प्राप्त होगी।

जिला अवर निबन्धक
गोड्डा

8. **सदस्यता शुल्क** : न्यास के सभी न्यासियों को एक सौ रूपये प्रवेश शुल्क एवं पचास रूपये वार्षिक शुल्क देना होगा।

9. **सदस्यों की योग्यता** :
- कम से कम अठारह वर्ष उम्र का हो।
- समाज सेवा कार्यों में योगदान देता हो।
- न्यास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य करने का इच्छुक हो।

10. **सदस्यों के अधिकार** :

सभी सदस्यों को समान अधिकार होगा।

11. **सदस्यता की समाप्ति** :
- किसी सदस्य द्वारा दिये गये त्याग पत्र की स्वीकृति पर।
- न्यास के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर।
- मृत्यु, पागल, दिवालिया एवं नैतिक भ्रष्टाचार अपराधपूर्ण अभियोग में न्यायालय से दंडित होने पर।
- सदस्यता के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर।

12. **न्यास परिषद के कार्य एवं अधिकार** :
- न्यास परिषद को अपने चल अचल सम्पति के देखभाल के लिए जिम्मेवार होगा।
- न्यास परिषद को नियम उपनियम बनाने एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
- बैठक में प्रस्ताव पारित करना तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो कार्य आवश्यक हो एवं हितकर हो उसे क्रियान्वित करना।
- समय–समय पर न्यास के दस्तावेजों एवं लेखा का जाँच करना।
- सचिव द्वारा कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति पर सहमति देना।
- न्यास परिषद में रिक्त पदों को भरना।
- न्यास परिषद अपने किसी भी अधिकार को अध्यक्ष, सचिव या विशेष कार्य हेतु गठित किसी समिति को देने में सक्षम होगी।
- सदस्यता समाप्ति पर नये सदस्यों के चुनाव करने में सक्षम होगी।

13. **अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य** :
- अध्यक्ष सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(7)

जिला अवर निबन्धक

- न्यास परिषद में अगर किसी भी निर्णय में मतों का समान विभाजन होता है, तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- अध्यक्ष को साधारणतः न्यास के हर कार्य पर निगरानी तथा नियंत्रण रखने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

14. **सचिव के कार्य एवं अधिकार :**
- न्यास परिषद की बैठक का आयोजन कराना एवं बैठक में लिये गये निर्णय को कियान्वित करना।
- न्यास परिषद द्वारा पारित सभी तरह के कार्यों को सम्पादित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।
- न्यास परिषद द्वारा निर्धारित कार्यों को सम्पादन हेतु वैतनिक अवैतनिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति स्थानान्तरण, अनुशासनात्मक कारवाई करने का अधिकार होगा।
- किसी को सेवा मुक्त एवं पुरस्कार देने का अधिकार सचिव होगा।
- सचिव कार्यकारिणी प्रशासन का अधिकारी होगा जिस पर अध्यक्ष का अंकुश होगा।
- न्यास के तरफ से किसी भी तरह का बोण्ड, डीड सचिव के नाम से होगा।
- न्यास परिषद द्वारा संचालित कार्यों के लिए धन, चल या अचल सम्पति प्राप्त करना।
- न्यास परिषद की ओर से पत्राचार अनुबंध आदि करना।
- न्यास परिषद की ओर से चल–अचल सम्पतियों का क्रय–विक्रय करना।

15. **कोषाध्यक्ष कार्य एवं अधिकार :**
- कोषाध्यक्ष खाता बही एवं दैनिक कार्यों का हिसाब का लेखा जोखा रखेंगे।
- न्यास परिषद द्वारा संचालित कार्यों का किसी भी प्रकार का आय–व्यय बैठक में प्रस्तुत करना।
- न्यास द्वारा किये गये खर्चों का समय–समय पर अंकेक्षण करना।

16. कोरम : न्यास परिषद का कोरम उसके दो तिहाई सदस्यों का होगा।
17. बैठकें : न्यास परिषद का बैठक कम से कम वर्ष में एक बार होगा। इसमें पूर्व वर्ष के आय–व्यय तथा अगले वर्ष का बजट भी पारित किया जायेगा। आपात

जिला अवर निबन्धक

स्थिति में परिषद की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

18. निर्णय : न्यास परिषद के सभी निर्णय चुनाव, नियमों, उपनियमों का निर्माण दो-तिहाई बहुमत से होगा।

19. कार्यकाल : न्यास परिषद के पदाधिकारियों का कार्यकाल समान्यतः तीन वर्ष का होगा। परन्तु किसी कारण से पदत्याग की स्थिति में उस पद पर नये पदाधिकारी का चुनाव हर हाल में छः माह के अंदर अवश्य किया जायेगा। यदि किसी कारण से नये पदाधिकारी का चुनाव समय पर नहीं हुआ तो वर्तमान समिति नये चुनाव तक अपने पदपर तब तक बने रहेंगे, जब तक पदाधिकारी का चुनाव नहीं हो जाये। साथ ही साथ चुनाव के साल का आरंभ एक जनवरी तथा अंत 31 दिसंबर मान्य होगा।

20. बैंक खाता का रख-रखाव : न्यास परिषद के कार्यों के लिए बैंक में एक या अधिक खाता खोला जायेगा। जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव का संयुक्त हस्ताक्षर होगा।

21. न्यास की सम्पति : न्यासियों द्वारा जमा किये 700/- (सात सौ रूपये) से इस न्यास का गठन किया जा रहा है। बाद में विभिन्न श्रोतों से आवश्यकता अनुसार राशि या चल अचल सम्पतियों का संग्रह किया जायेगा।

22. न्यास का विघटन : तीन चौथाई न्यासी यदि इस बात से सहमत हो कि अब इस न्यास को बनाये रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है तो सभी दायित्वों की अदायगी कर न्यास को विघटित कर दिया जायेगा एवं शेष सम्पति को किसी अन्य न्यास, संस्था को दे दिया जायेगा।

आज दिनांक 1. 8. 2001 दिन बुधवार को भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अनुसार सेटलर्स एवं ट्रस्टीज पक्ष के अनुसार निम्नलिखित सदस्य अपना-अपना हस्ताक्षर देकर इस न्यास के निबंधन करते हैं।

जिला अवर निबन्धक
गोड्डा

त्रिभुवन प्र० चौधरी

क्र	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	त्रिभुवण प्र0 चौधरी	स्व० रोशन चौधरी	समाजसेवा	त्रिभुवन प्र० चौधरी
2.	सन्तलाल यादव	स्व० उद्धो यादव	समाजसेवा	सन्त लाल यादव
3.	गोपाल मंडल	श्री दुली मंडल	समाजसेवा	गोपाल मंडल
4.	राजेन्द्र कुमार	श्री महादेव प्र० भगत	समाजसेवा	राजेन्द्र कुमार
5.	श्रीमती सरस्वती सिंह	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	समाजसेवा	सरस्वती सिंह
6.	श्रीमती सबिता यादव	श्री जनार्दन प्र० यादव	समाजसेवा	सबिता यादव
7.	सतीश कुमार चौधरी	श्री रूपलाल चौधरी	ग्रामीण स्वा.से.	सतीश प्र० चौधरी
8.	दुखन कापरी	श्री घोरी कापरी	कृषि	दुखन कापरी
9.	अनिता टुडू	श्री महेन्द्र मंडल	समाजसेवा	अनिता टुडू
10.	सुरेश प्र0 ठाकुर	पिता स्व० दुरो ठाकुर	समाजसेवा	सुरेश प्र० ठाकुर
11.	बीरबल प्र0 यादव	स्व. केवल यादव	समाजसेवा	बीरबल प्र० यादव

नोट :- पृष्ठ संख्या 3 में कलम से एवं शाखा कार्यालय पोड़ैया हाट गोड्डा झारखंड होगा लिखा गया है।

त्रिभुवन प्र० चौधरी
1.8.2001

जिला अवर निबन्धन कार्यालय गोड्डा

10

1151

जिला अवर निबन्धक
गोड्डा